न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़ (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी – **श्री प्रमोदकुमार सिंघव** आर.ए.एस.)

मिसल नं 414 / प्रार्थना–पत्र / 2019
दायरा दि0 08 / 09 / 2017

उनवान

1. सीताराम पुत्र रामकिशन जाति धाकड़ निवासी खेड़लीमीरां तह0 खानपुर
2. सियाराम पुत्र रामकिशन जाति धाकड़ निवासी खेड़लीमीरां तह0 खानपुर
3. राकेश पुत्र रामकिशन जाति धाकड़ निवासी खेड़लीमीरां तह0 खानपुर
4. भूलीबाई पुत्री रामकिशन जाति धाकड़ निवासी खेड़लीमीरां तह0 खानपुर
5. निशाबाई पुत्री रामकिशन जाति धाकड़ निवासी खेड़लीमीरां तह0 खानपुर नाबालिगान जरिये माता संरक्षक सीताबाई धर्म पत्नि रामकिशन जाति धाकड़ निवासी खेड़लीमीरां तहसील खानपुर जिला झालावाड़

— प्रार्थीगण

बनाम्

1. श्रीमती रूकमणीबाई गर्ग धर्मपत्नि सुरेन्द्रकुमार जाति महाजन निवासी गाडरवाड़ानूरजी तह0 खानपुर जिला झालावाड़
2. श्रीमती कलावती धर्मपत्नि ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी गाडरवाड़ानूरजी तह0 खानपुर जिला झालावाड़
3. श्रीमती रजनी धर्मपत्नि राजेन्द्रकुमार जाति महाजन निवासी गाडरवाड़ानूरजी तह0 खानपुर जिला झालावाड़
4. बद्रीलाल पुत्र केसरीलाल जाति धाकड़ निवासी खेड़लीमीरां तह0 खानपुर
5. रामकिशन पुत्र केसरीलाल जाति धाकड़ निवासी खेड़लीमीरां तह0 खानपुर
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार साहब तहसील खानपुर
7. शाखा प्रबन्धक हाड़ौती क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक बाघेर तहसील खानपुर

— अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता,1908 व धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश गोयल अधिवक्ता – प्रार्थी / प्रतिवादी
श्री इन्दरलाल गुप्ता अधिवक्ता – अप्रार्थी / वादी

<u>निर्णय</u>

दिनांक 26 / 06 / 2019

प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त उनवान का दावा माननीय न्यायालय में जेरकार है जिसमें [illegible]

कई बार आराजी बैचान करने हेतु खातेदार द्वारा विज्ञापन देने के बाद खरीद की है। उस समय खातेदार को अपने लड़के सीताराम एवं लड़की दुर्गेश की शादी हेतु रूपयों की आवश्यकता थी, जिस पर सभी वादीगण एवं परिवार की सहमति से आराजी ख0नं0 312 की 3.00 बीघा, ख0नं0 312 की 4.15 बीघा जरिये रजिस्टर्ड बैनामा से रूकमणीबाई ने, ख0 नं0 311 की 3.07 बीघा व ख0नं0 312 की 0.11 बीघा कुल 3.18 बीघा आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैनामा कलावतीबाई ने एवं ख0नं0 312 की 3.18 बीघा आराजी को रजिस्टर्ड बैनामा रजनीबाई ने खरीद की है उपरोक्त, सारी आराजी इंतकाल तस्दीक होकर खरीददारान के खाते दर्ज हो चुकी है, खरीद के बाद से ही हम खरीददारान का कब्जा है एवं खरीददारान खेती करते आ रहे हैं। वाद हाजा में वादीगण ने उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामें को निरस्त करने का वाद(वाद--पत्र की मद नं0 9 के अनुसार) माननीय न्यायालय में पेश किया है। इस रजिस्टर्ड बैनामें को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इस बाबत् प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने अपने जवाबदावे की विशेष आपत्तियां मद नं0 7 में आपत्ति ली हुई है। इस बाबत् माननीय न्यायालय द्वारा तनकीयात नं0 10 भी कायम कर रखी है। इस प्रकार रजिस्टर्ड बैनामा को अवैध व निरस्त करने का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है। रजिस्टर्ड बैनामा निरस्त करने का श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इसलिये वाद हाजा इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवदेन है कि वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिलिपी अधिवक्ता अप्रार्थी / वादी को दी गयी। अधिवक्ता अप्रार्थी / वादी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी द्वारा दि0 12.06.2013 को जवाब दावा पेश किया जा चुका है, जिसकी अपत्तियों के आधार पर तनकी नं0 9 व 10 कायम हो चुकी है। वाद में वादी की शहादत समाप्त हो चुकी है और प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा उनकी शहादत के गवाहान के शपथ पत्र भी पेश हो चुके हैं। मुकदमा अंतिम स्टेज में चल रहा है। उसे लम्बा करने की नियत से प्रतिवादीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसमें वर्णित किसी भी आधार पर इस प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तनकी नं0 10 वाद के श्रवणाधिकार के संबंध में है जो कानून व शहादत की मिलीजुली तनकी है, जिसका निर्णय शहादत के बाद ही किया जा सकता है। वादी ने अपने वाद में विक्रय पत्र जो कि पैतृक सम्पत्ति के संबंध में अपने नोसनल शेयर से अधिक का बैचान बद्रीलाल व रामकिशन द्वारा किया गया है, उसे शून्य घोषित कराने हेतू यह वाद पेश किया गया है। तीनों ही विक्रय पत्र पैतृक सम्पत्ति से संबंधित होने के कारण वादीगण का उक्त आराजी में जन्म से अधिकारी प्राप्त है और उनके पिताजी द्वारा अपने नोशनल शेयर से अधिक का बैचान करने के कारण उक्त बैचान पत्र प्रारंम्भ से ही शून्य है। वादीगण अपने हिस्से की आराजी प्राप्त करने व खातेदार टीनेंट घोषित कराने के अधिकारी है। इस प्रकार के प्रकरणों में माननीय न्यायालय को ऐसे वाद सुनने का पूर्ण क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

उभय पक्ष की सहमति से प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस इस प्रकार प्रस्तुत की है कि तत्कालीन खातेदार रामकिशन, बद्रीलाल ने आराजी मुतनाजा को बैचान करने हेतु समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के झालावाड़ संस्करण में दि0 25, 26, 27, 28 अप्रेल सन् 2010

प्रतिलिपि अधिकारी
न्यायालय जिला झालावाड़

विज्ञापन सं0 89522, दि0 10, 11, 12 मई सन् 2010 को विज्ञापन सं0 90148, दि0 18, 19, 20, 21 मई सन् 2010 को विज्ञापन सं0 90224 से प्रकाशन करवाया था, जिसमें से राजस्थान पत्रिका दि0 25.04.2010, दि0 10.05.2010, दि0 19.05.2010 का समाचार पत्र प्रति0 द्वारा पत्रावली में पेश कर रखा है। प्रति0 1 लगा0 3 द्वारा उक्त विज्ञापन में दर्ज मोबाईल नं0 9784090585 पर सम्पर्क करने पर तत्कालीन खातेदार रामकिशन द्वारा अपने लड़के सीताराम व लड़की दुर्गेश की शादी के लिये रूपयों की आवश्यकता होने से आराजी मुतनाजा को परिवार की सहमति से बैचान करना चाहा। इसलिये प्रति0 1 लगा0 3 ने आराजी को खातेदार रामकिशन के कर्ता खानदान होने से व पारिवारिक आवश्यकता होने से परिवार के सभी सदस्यों की सहमति से आराजी सन् 2010 से जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा खरीद किया है जिसकी बैचान की राशि सभी सदस्यों के सामने अदा की गई है। तब से आराजी पर प्रति0 1 लगा0 3 शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है। पत्रावली में Pw1 सीताबाई ने अपने बयानों की जिरह में जिस जमीन का बैचान हआ उसी साल पुत्र सीताराम व पुत्री दुर्गेश की शादी होना स्वीकार किया है। इस प्रकार आवश्यकता होना तो वादनी द्वारा भी साबित है। वाद हाजा में तत्कालीन खातेदार रामकिशन व बद्रीलाल से वादीगण एवं परिवार की सहमति से आराजी ख0नं0 312 की 3 बीघा एवं 4.15 बीघा दो रजिस्टर्ड बैचाननामों से रूकमणीबाई ने, ख0नं0 311 की 3.07 बीघा व ख0नं0 312 की 0.11 बीघा कुल 3.18 बीघा आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा कलावतीबाई ने एवं ख0नं0 312 की 3.18 बीघा आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा रजनीबाई ने जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा खरीद की है। उक्त आराजी का क्रेताओं के पक्ष में इंतकाल तस्दीक होकर आराजी उनके खाते दर्ज हो चुकी है एवं खरीद से आराजी पर क्रेता प्रति0 1 लगा0 3 ही काबिज चले आ रहे है। वाद हाजा में वादीगण ने रजिस्टर्ड बैचाननामों को निरस्त करने का वाद (वादीगण के वादपत्र की मद नं0 9 में की गई प्लीडिंग के अनुसार) माननीय न्यायालय में पेश किया है। इस रजिस्टर्ड बैचाननामें को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इस बाबत् प्रति0 1 लगा0 3 ने अपने जवाब दावे की विशेष आपत्तियों की मदनं0 7 में आपत्ति ले रखी है, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा तनकी नं0 10 भी कायम कर रखी है। इस प्रकार रजिस्टर्ड बैचाननामें को अवैध व निरस्त करने का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है। रजिस्टर्ड बैचाननामें को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इसलिये वाद हाजा इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा वादीगण माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही होने से खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में कमशः RLW 2015(4) Page 2936(Raj), RRT 2014(1) Page 534, RRT 2010(1) Page 124, RRT 2007(1) Page 360 के दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना-पत्र पर लिखित बहस इस प्रकार प्रस्तुत की है कि आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान प्रारंम्भिक स्टेज पर ही सुने जा सकते हैं और प्रार्थना पत्र के निर्णय हेतु सिर्फ वादी के वाद को देखा जाता है और उसमें कमशः 4 बातों पर गौर किया जाता है। 1. जहां वाद हेतु प्रकट नहीं करता है, 2. जहां वाद का मुल्यांकन कम किया गया है और कम कोर्ट फीस अदा की गयी है, 3. जहां दावा का अनुतोष का मुल्यांकन तो ठीक है, परंतु पर्याप्त स्टॉम्प पर नहीं लिखा गया है, 4. जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता हो कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। उक्त चारों बातों में से कोई भी बात प्रतिवादी के प्रार्थना-पत्र से साबित नहीं

होती है। इनका प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत नहीं आता है। आराजी बेचान के संबंध में समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन करवाने, परिवार के सदस्यों की शादी के लिये रुपयों की आवश्यकता होना, इंतकाल तस्दीक होना आदि तथ्यों पर गौर नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी ने स्वंय यह स्वीकार किया है कि वाद में माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार के संबंध में तनकी नं00 10 बनायी हुई है, जिसका निर्णय साक्ष्य के बाद अंतिम स्टेज पर ही किया जा सकता है। इस स्टेज पर यह प्रार्थना पत्र सिर्फ मुकदमें को लम्बा करने की नियत से पेश किया गया है। यह भी गलत है कि हमने रजिस्टर्ड बैनामें को निरस्त कराने के संबंध में दावा पेश किया है। हमने तो अपने दादा ने अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में से अपने नोशनल शेयर से अधिक का बैचान बद्रीलाल, रामकिशन द्वारा किये जाने के कारण और उनका हक जन्म से होने के कारण बैचान पत्र आरम्भ से ही शून्य है और शून्य घोषित कराने हेतु ही दावा पेश किया है। वादीगण ने खातेदार घोषित कराने व विभाजन का दावा किया है जिसे माननीय न्यायालय को सुनने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे तथा 5000/— रू0 का विशेष हर्जा वादीगण को दिलया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने अपने कथन के समर्थन में RRD 2000Page 391, RRT 2010 SC Page 986, RRT 2003 Page 513 का दृष्टान्त भी पेश किया।

हमने प्रार्थना—पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी, जबाब प्रार्थना—पत्र अप्रार्थी/वादी एवं पत्रावली का अवलोकन किया, साथ ही विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। वादीगण ने ग्राम बाघेर की ख0नं0 311, 312 की 15.12 बीघा आराजी में से 5/12 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित करने व बैचान पत्र 5/12 हिस्से तक शून्य घोषित किये जाने, खाता विभाजन किया जाकर खाता प्रथक किये जाने एवं कब्जा दिलाये जाने का यह वाद पेश किया है। प्रार्थी/प्रतिवादी ने आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर वाद के क्षैत्राधिकार पर आपत्ति की है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रकट है कि तत्कालीन खातेदारान रामकिशन, बद्रीलाल ने वादग्रस्त आराजी के बैचान के संबंध में समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराया है, उसके बाद ही खातेदारान बद्रीलाल, रामकिशन प्रति0नं0 4, 5 ने ख0नं0 312 की 3 बीघा दक्षिण एवं 4.15 बीघा दक्षिण दो रजिस्टर्ड बैचाननामों से रूकमणीबाई को, ख0नं0 311 की 3.07 बीघा व ख0नं0 312 की 0.11 बीघा कुल 3.18 बीघा आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा से कलावतीबाई को एवं ख0नं0 312 की 3.18 बीघा आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा से रजनीबाई को विकय कर कब्जा संम्भलाया है। वर्तमान में ग्राम बाघेर की जमाबंदी सं0 2066—69 की खतौनी सं0 नयी 146 पुरानी 138 पर यह वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण 1 लगा0 3 के खाते दर्ज है। चूॅकि वादग्रस्त आराजी का बैचान खातेदारान बद्रीलाल प्रति0नं0 4, रामकिशन प्रति0नं0 5 द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवादीगण को किया गया है, जो प्रतिवादीगण के खाते दर्ज हो चुकी है तथा उनके ही कब्जे काश्त में है। वादीगण की गवाह Pw1 सीताबाई जो वादीगण की संरक्षक भी है के बयानों से भी वादग्रस्त आराजी के बैचान में परिवार की सहमति एवं आवश्यकता की पुष्टि होती है। इस वाद में वादीगण ने वादग्रस्त आराजी को पैतृक सम्पत्ति बताकर नोशनल शेयर के आधार इन बैचान—पत्रों को 5/12 हिस्से तक शून्य घोषित करते हुये 5/12 हिस्से के खातेदार टीनेंट घोषित करने की डिकी चाही है। यहां हम विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत किये गये दृष्टान्तों से भली प्रकार सहमत है कि कानूनन रजिस्टर्ड बैचान पत्रों को बिना शून्य घोषित किये वादीगण को

तहसील अधिकारी

चाहा गया अनुतोष नहीं दिया जा सकता तथा रजिस्टर्ड बैचान पत्रों को शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। ऐसे में यह वाद न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं है व विधि द्वारा वर्जित है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। प्रार्थना–पत्र एवं वाद निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 26/06/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)